



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बौली, (सवाई माधोपुर)
जिला - सवाई माधोपुर
जाति प्रमाण - पत्र



संख्या: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.न.जा.) /22433827996
दिनांक: 17-04-2022
आवेदक का आधार नम्बर : 422323464307
आवेदक/परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या : 4810053078

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारा चन्द मीना पुत्र/पुत्री श्री वीर सिंह मीना, माता का नाम - श्रीमती उगन्ती देवी, गांव/नगर जस्टाना, बौली, सवाई माधोपुर जिला/डिवीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कृषि (संशोधन) आदेश 1956, संसदीय पुनर्गठन अधिनियम 1960, संसदीय पुनर्गठन अधिनियम 1966, विभाजन प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (संघ व कर्मांग) अनुसूचित जाति आदेश 1950, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (अंशमान तथा निम्नोच्च क्षेत्र समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, संविधान (ट्राइबल तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (ट्राइबल तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (राज्योपरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (मोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (परागमैक) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री तारा चन्द मीना गांव/नगर जस्टाना, बौली, सवाई माधोपुर जिला / डिवीजन सवाई माधोपुर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

नोट:

- यहां प्रयोग साधारणतः निम्नलिखित का अर्थ रखा जाएगा जो वर्ष 1950 की धारा 20 में है।
- राजस्थान सरकार के राज्याधिकार विभाग की अधिसूचना सं. एन 21(37) एन.जे.ई. /कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोजक द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
- प्राचीन द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिन्हें के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
- यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- प्राचीन को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोलफ्री संख्या : 220450380932

उपखण्ड अधिकारी, बौली, (सवाई माधोपुर)

Signature valid

Digitally signed by NARAIN MEENA
Date: 2022.04.17 17:51:46
+05:30
Reason: I have signed
Location: Rajasthan



EMJPPL 01361933

e-Mitra